

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 876 / 14

संस्थापन दिनांक : 07.10.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—राजपालसिंह तौमर पुत्र तहसीलदार सिंह तौमर उम्र

31 वर्ष निवासी ग्राम सुहांस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भा.द.स. की धारा 294, 323 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 336 भा.द.स.के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 10.07.14 को 21:00 बजे ग्राम सुहांस तहसीलदार अ0सा01 के घर के दरवाजे पर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.07.14 को रात के 9 बजे आरोपी जो फरियादी तहसीलदार अ0सा01 का पुत्र है जमीन पर हिस्से की बात को लेकर अश्लील गालियां दे रहा था उसने मना किया तो आरोपी ईंट पत्थर फेंकने लगा और तहसीलदार अ0सा01 के माथे पर पत्थर मारा। तत्पश्चात भूरीबाई और पंकज ने आकर बीच बचाव किया। तत्पश्चात फरियादी ने थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर थाना एण्डोरी में अप0क्र0 51/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में

किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी ने दिनांक 10.07.14 को 21:00 बजे ग्राम सुहांस तहसीलदार अ0सा01 के घर के दरवाजे पर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. तहसीलदार अ0सा01 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व आरोपी जोकि उसका पुत्र है से हिस्सा बंटवारे की बात पर झगड़ा हो गया था जिसमें हाथ पैर से मारपीट के अलावा कुछ नहीं हुआ। उसने थाने पर जाकर एफआईआर प्र0पी-1 की थी। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 10.07.14 को आरोपी ने ईट पत्थर फेंककर मारे जिससे उसका मानव जीवन संकट में पड़ गया और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. अतः प्रकरण में फरियादी व आहत तहसीलदार अ0सा01 ने ही अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी ने उपेक्षापूर्वक पत्थर फेंके थे। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 10.07.14 को 21:00 बजे ग्राम सुहांस तहसीलदार अ0सा01 के घर के दरवाजे पर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न किया।
7. परिणामतः आरोपी को धारा 336 भा.द.स.के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0